प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

दिवानी पुनरीक्षण क्र. 3/2009

आवेदक महादेव ठाकरे

बनाम

अनावेदक श्रीमती चंचल गायकवाड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा अधिवक्ता आवेदक की ओर से

अधिवक्ता श्री क्षितिज शर्मा अधिवक्ता अनावेदक की ओर से ।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, की धारा 115 के अन्तर्गत दिवानी पुनरीक्षण

आदेश

(पारित दिनांक 31 अगस्त 2010)

1. आवेदक/पति, अपर जिला न्यायाधीश, गरियाबंद, जिला रायपुर द्वारा पारित उस आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा यह आपत्ति अस्वीकार कर दी गई है कि वर्तमान कार्यवाही केवल हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 27 के अधीन ही बनाए रखने योग्य है।

2 . इस पुनरीक्षण आवेदन के पक्षकारों का विवाह 07-05-1998 को संपन्न हुआ था। यह तथ्य विवादित नहीं है कि आवेदक/पति द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर, पंचम अपर जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने दीवानी वाद क्रमांक 115-A/2000 में, दिनांक 07-02-2002 के अपने निर्णय एवं डिक्री द्वारा, उसके पक्ष में एक पक्षीय विवाह - विच्छेद की डिक्री प्रदान की है। अनावेदक / पत्नी उक्त एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री से अनभिज्ञ होने के कारण, दो आवेदन प्रस्तुत किए - एक धारा 13 के अधीन दिनांक 20-07-2005 के लगभग, तथा दूसरा धारा 27 के अधीन; दोनों ही प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (अपर जिला न्यायाधीश), रायपुर के समक्ष (अनुबंध P-1)। हालाँकि, जब आवेदक/पति ने इस तथ्य का खुलासा किया कि बिलासपुर न्यायालय ने पहले ही उसके पक्ष में एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अधिनियम की धारा 27 के अधीन चल रही कार्यवाही की बनाए रखने योग्यता के संबंध में आपत्ति उठाई। इस आपत्ति का आधार यह था कि चूंकि अनावेदक ने विवाह - विच्छेद डिक्री प्रदान किए जाने के अपने प्रार्थना-पत्र को वापस ले लिया है और कार्यवाही को केवल अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के तहत, विवाह के समय दंपति को भेंट की गई संपत्ति की वापसी तक सीमित कर दिया है, अतः अब वह कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं रह गई है। विचारण न्यायालय ने आवेदक की उक्त प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने द्वि-सूत्रीय तर्क प्रस्तुत किए हैं, प्रथम, कि जब अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रारंभिक वाद ही बनाए रखने योग्य नहीं था, तो अधिनियम की धारा 27 के अधीन संपत्ति की वापसी हेतु प्रार्थना, जो कि एक अंतरिम प्रकृति की है, बनाए रखने योग्य नहीं थी; द्वितीय, कि यदि वह आवेदन बनाए रखने योग्य भी मान लिया जाए, तब भी गरियाबंद स्थित न्यायालय के पास उक्त आवेदन को विचारण हेतु स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 27 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने का परिणाम बिलासपुर न्यायालय द्वारा प्रदत्त विवाह - विच्छेद की डिक्री में संशोधन या परिवर्तन करना होगा, जो कि विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।

4 अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा **27** के अधीन प्रस्तुत आवेदन, अधिनियम के अंतर्गत चलने वाली मुख्य कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से बनाए रखने योग्य है और भले ही उसका प्रभाव डिक्री में संशोधन करना हो, अधिनियम की धारा **19(iiia)** में निहित उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में गरियाबंद स्थित न्यायालय में वह कार्यवाही बनाए रखने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की योजना तथा उस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में, जिसके लिए अधिनियम की धारा **27** अधिनियमित की गई है, यह आवेदन बनाए रखने योग्य है, क्योंकि पत्नी को उसी न्यायालय में आवेदन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जहाँ एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की गई थी।

5. अधिनियम की योजना के अंतर्गत, धारा 23 अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में डिक्री प्रदान करने का उपबंध करती है, चाहे वह न्यायिक पृथक्करण, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना अथवा विवाह - विच्छेद की डिक्री ही क्यों न हो। अधिनियम की धारा 25 स्थायी निर्वाह व्यय एवं भरण-पोषण के संबंध में उपबंध करती है, जबकि अधिनियम की धारा 26 बच्चों की अभिरक्षा के विषय में वर्णन करती है और धारा 27 संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 न्यायालय को अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, स्वयं डिक्री में ही स्थायी निर्वाह - व्यय, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और संपत्ति के निपटान के संबंध में उपबंध करने का अधिकार प्रदान करती हैं। अतः, इन उपबंधों को प्रायः मुख्य कार्यवाही में आनुषंगिक प्रकृति के रूप में समझा जाता है। हालाँकि, अधिनियम की योजना तथा जिस उद्देश्य से इन उपबंधों का सृजन किया गया है, उसके पाठ से यह प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 के अधीन आवेदन डिक्री पारित किए जाने के समय या उसके पश्चात् किसी भी पति-पत्नी द्वारा दायर किया जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 के अधीन इस प्रकार का स्वतंत्र आवेदन ऐसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जिसने मूल डिक्री तो पारित नहीं की है, किंतु उसके पास अन्यथा उक्त आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है, अधिनियम की समग्र योजना और उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार करके निर्धारित किया जाना है, जहाँ ऐसा आवेदन दायर किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अधिनियम की धारा 19 यह उपबंध करती है कि अधिनियम के अंतर्गत याचिका किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अधिनियम की धारा 19 के उपखंड (iii क) के अंतर्गत यह विहित है कि जब पत्नी याचिकाकर्ता हो, तो वह याचिका उस स्थान पर प्रस्तुत कर सकती है, जहाँ वह याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है। यदि अधिनियम की धारा २७ के अंतर्गत एक स्वतंत्र आवेदन उस स्थान पर बनाए रखने योग्य है, जहाँ पत्नी याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को निवास करती है, तो इस प्रकार गरियाबंद स्थित न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार होगा।

7. अब विचारणीय यह प्रश्न है कि क्या गरियाबंद स्थित न्यायालय वह आदेश पारित कर सकता है, जिसका प्रभाव बिलासपुर स्थित न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री में संशोधन करना हो।

8. स्मृति दर्शन कौर बनाम मलूक सिंह, एआईआर 1983 पंजाब और हरियाणा 28 के मामले में, न्यायालय की एकल पीठ ने अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली कुछ-कुछ समान स्थिति का सामना करते हुए, रिपोर्ट के पैरा 3 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. धारा 19 का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक याचिका (जिसमें अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर याचिका भी शामिल होगी) उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके साधारण मूल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर--"

(i) विवाह संपन्न हुआ था, या

(ii) प्रत्यर्थी (वादी), याचिका प्रस्तुत करने के समय, निवास करता/करती है, या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार साथ निवास किया था, या

(iv) (इस मामले से संबंधित नहीं)

यह विवादित नहीं है कि पक्षकारों का विवाह जिला न्यायालय, जालंधर के अधिकार क्षेत्र में संपन्न हुआ था और दोनों पक्षकार जिला न्यायालय, जालंधर के अधिकार क्षेत्र में निवास करते हैं, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अंतिम बार साथ कहाँ निवास किया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के

तहत याचिका के लिए भी, जालंधर न्यायालय का इस मामले में अधिकार क्षेत्र होगा। धारा 25 की शब्दावली की ओर ध्यान दें तो "इस उद्देश्य हेतु उसके समक्ष किए गए आवेदन पर" शब्दों पर जोर दिया जा रहा है। इन शब्दों से यह अनुमान लगाया जाता है कि 'उसके' से तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसने डिक्री पारित की थी, और केवल वही न्यायालय ऐसा आवेदन स्वीकार करने के लिए सक्षम है। यदि इन शब्दों की यह व्याख्या की जाती है, तो इसके विसंगतिपूर्ण परिणाम होंगे, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा। मान लीजिए, विवाह - विच्छेद की एक याचिका प्रथम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाती है और उस खारिज होने की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सर्वोच्च न्यायालय विवाह - विच्छेद की डिक्री प्रदान करता है। अधिनियन की धारा 25 और 'उसके' शब्द पर जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसका मतलब होगा कि अधिनियन की धारा 25 के तहत स्थायी निर्वाह - व्यय प्रदान करने की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करनी होगी। इसी प्रकार, यदि विवाह - विच्छेद की याचिका प्रथम न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, तो स्थायी निर्वाह - व्यय प्रदान करने का आवेदन इस न्यायालय में किया जाएगा। यह न तो धारा 25 का दायरा है और न ही अधिनियन की धारा 19 द्वारा प्रस्तुत अर्थ है। इसके अलावा, धारा 25 का सुसंगत भाग दर्शाता है कि कार्यवाही इस अधिनियन के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले 'किसी भी' न्यायालय के समक्ष ली जा सकती है और इस अधिनियन के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अधिनियन की धारा 19 के आधार पर अधिनियन के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर किया जाता है। इसलिए, जो तार्किक व्याख्या की जानी चाहिए, वह यह है कि धारा 25 या कोई भी अन्य धारा, जहाँ तक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, को धारा 19 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए, जब तक कि किसी विशिष्ट धारा में इसके विपरीत कोई विशेष प्रावधान न हो। इसलिए, धारा 19 के साधारण पाठ और इसे अधिनियन की धारा 25 के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने पर, एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जाएगा कि भले ही विवाह - विच्छेद या कोई अन्य डिक्री के लिए याचिका धारा 19 के तहत अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी एक न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, इससे विपक्षी पक्ष को स्थायी निर्वाह - व्यय या अधिनियन की धारा 26 या 27 के तहत कोई अन्य अनुतोष के लिए आवेदन करने का अवसर मिल सकता है, और फिर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 19 द्वारा निर्धारित होगा, न कि केवल किसी विशेष न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किए जाने से।

9. यहाँ अधिनियम की धारा 25 तथा धारा 27 प्रस्तुत की जा रही हैं:

धारा 25: स्थायी निर्वाह - व्यय और भरण- पोषण

(1) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर रहा कोई भी न्यायालय, डिक्री पारित करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि आदेश का प्रत्यर्थी, आवेदक के भरण-पोषण और संभावित क़ानूनी खर्चों हेतु, ऐसी एकमुश्त राशि या ऐसी मासिक या किश्तों में राशि का भुगतान करे, जिसे न्यायालय प्रत्यर्थी की अपनी आय तथा अन्य सम्पत्ति और यदि कोई हो आवेदक या आवेदिका की आय तथा अन्य सम्पत्ति [तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए] न्यायसंगत समझे; और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्यर्थी की स्थावर सम्पत्ति पर बंधक द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात् पक्षकारों में से किसी की परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है, तो वह किसी भी पक्षकार की प्रार्थना पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, ऐसे किसी आदेश में परिवर्तन कर सकेगा या उसे उपान्तरित या निरसित कर सकेगा।

(3) यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है, पुनर्विवाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह पतिव्रता नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाहेत्तर मैथुन किया है, [तो वह दूसरे पक्षकार की प्रार्थना पर ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति में, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे, परिवर्तित, उपान्तरित या निरसित कर सकेगा।]

धारा 27: संपत्ति का व्ययन — इस अधिनियम के अधीन लंबित किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय उस संपत्ति के बारे में, जो विवाह के अंतर्गत या उसके आस-पास उपहार में दी गई थी या संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की थी, डिक्री में ऐसे उपबन्धित कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे।

10. अधिनियम की धारा 25 तथा धारा 27, न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती हैं कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत कोई डिक्री (निर्णय/आदेश) पारित करते समय स्थायी निर्वाह - व्यय, भरण-पोषण तथा संपत्ति के निपटान के संबंध में उपबंध (प्रावधान) कर सके।

11. यह शक्ति अधिनियम की धारा 19 के परिप्रेक्ष्य में 'अधिनियम के तहत कोई भी याचिका विचारण हेतु अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय' को प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 19 में निहित प्रावधानों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि धारा 19 की उप-धारा (iii a) मूल अधिनियम में उपलब्ध नहीं थी। इसे अधिनियम 2003 की संख्या 50 द्वारा 23-12-2003 से प्रभावी रूप से समाविष्ट किया गया था। इस नई उप-धारा को समाविष्ट करके, पत्नी को भी अधिनियम के तहत कोई याचिका उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है। इस प्रकार, विधायिका का आशय पत्नी को अधिनियम के तहत उस जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह निवास करती है, ताकि विवाहिक संबंध टूट जाने के बाद महिला को उस न्यायालय में यात्रा करने और याचिका दायर करने के लिए बाध्य न होना पड़े, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह निवास नहीं कर रही है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पति ने उस स्थान पर डिक्री प्राप्त की हो जहां वह या दोनों अंतिम बार रहते थे और उसके बाद पत्नी देश के किसी अन्य दूरस्थ हिस्से में चली गई हो जहां उसका मायका स्थित है। ऐसी जगह देश में एक दूरस्थ स्थान पर हो सकती है, इसलिए पत्नी को अधिनियम की धारा 25 या 27 के तहत उस न्यायालय में आवेदन करने के लिए बाध्य करना, जिसने पति के अनुरोध पर डिक्री पारित की थी, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (iii a) को शामिल करते समय विधायिका की पवित्र मंशा को नकारने जैसा होगा। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 19(iii a) और धारा 27 के संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन पर, इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निष्कर्ष है कि पत्नी द्वारा गरियाबंद, जिला रायपुर स्थित न्यायालय में अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रस्तुत की गई याचिका बनाए रखने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप, दीवानी पुनरीक्षण विफल होती है और इसे एतद द्वारा खारिज किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Yashpal Singh